भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2042

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामले

†2042. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) जैसे गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों को मान्यता दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों में इन रोगों के प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार की महिलाओं के लिए विशिष्ट गैर-संचारी रोगों के अनुसंधान और उपचार हेतु विशिष्ट संसाधन और निधियन आवंटित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार महिलाओं पर इन स्थितियों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों का समाधान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क):- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की अध्ययन रिपोर्ट "भारत: राष्ट्र के राज्यों का स्वास्थ्य" के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का भार वर्ष 1990 में 37.9% से बढ़कर वर्ष 2016 में 61.8% हो गया है। विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है- https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf

पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (पीसीओएस) और एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं की संख्या से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग (एनपी-एनसीडी) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अवसंरचना सुदृढीकरण, मानव संसाधन विकास, शीघ्र निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए उचित स्तर के स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्र के लिए रेफरल और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के निवारण के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन पर अभिकेंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, कीमोथेरेपी के लिए 372 जिला डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के भाग के रूप में सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इन सामान्य एनसीडी की जांच आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत सेवा प्रदायगी का अभिन्न अंग है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर स्कीम के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत एनसीडी के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया जाता है। एनसीडी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में स्वास्थ्य दिवस का मनाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग करना शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं। है। इसके अतिरिक्त, एनसीडी के बारे में जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

गैर-संचारी रोगों से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी प्रणाली में जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, एम्स जैसे केंद्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में उपचार मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में दिया जाने वाला उपचार या तो निशुल्क है या सब्सिडी वाला है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत मध्यम या विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

(घ): राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में वर्णित उपायों के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट परिचर्या सुविधा केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना विकास को क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के भाग के रूप में, देश के जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के

क्रियान्वयन के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं की सुलभता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है।

*****